कोचिंग केंद्रों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश

जनवरी, 2024

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

पृष्ठभूमि

1. छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, सुविधाओं की कमी के साथ-साथ शिक्षण के तरीकों के संदर्भ में निजी कोचिंग केंद्रो से संबंधित मुद्दे समय-समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं।

2. किसी निर्धारित नीति या विनियमन के अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने, छात्रों पर अनुचित तनाव के परिणामस्वरूप छात्रों द्वारा आत्महत्या करने, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन की हानि तथा इन केंद्रों द्वारा अपनाई जा रही कई अन्य कदाचार की घटनाएं मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई हैं।

3. इन मुद्दों को कई बार संसद में बहस, चर्चा और सवालों के जरिए भी उठाया गया है।

4. यह ध्यान में रखते हुए कि +2 स्तर की शिक्षा का विनियमन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है, इसलिए इन संस्थानों को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सर्वोत्तम रूप से विनियमित किया जा रहा है।

5. स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में 2013 की रिट याचिका संख्या 456 में जनहित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी जिसमें शिक्षा मंत्रालय प्रतिवादियों में से एक था। जनहित याचिका का निपटारा दिनांक 03.02.2017 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ इस निर्देश के साथ किया गया कि याचिका में उठाया गया मुद्दा, हालांकि महत्वपूर्ण है लेकिन मूल रूप से यह एक नीतिगत मामला है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वे इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाएं जो कानून के अनुसार इस पर विचार कर सकते हैं।

6. संसद और अशोक मिश्रा समिति की रिपोर्ट, दोनों में ही निजी कोचिंग के विनियमन का मुद्दा विस्तृत चर्चा का विषय रहा। इस संदर्भ में उच्चतर शिक्षा विभाग के दिनांक 04.04.2017 के पत्र संख्या 32-6/2017-टीएस-I द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अननुपालक संस्थानों के लिए विनियमन और सख्त दंड प्रणाली हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इस पत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से छात्र आत्महत्या के निराकरण हेतु न्यायमूर्ति रूपनवाल जांच आयोग द्वारा सुझाए गए 12 उपायों पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

7. दिनांक 14.08.2019 के पत्र संख्या 32-6/2017-टीएस-I द्वारा कोचिंग केंद्रों के विनियमन के संदर्भ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उचित कानूनी रूपरेखा के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में कोचिंग केंद्रों के विनियमन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि इनमें से कई कोचिंग केंद्र स्कूल स्तर पर संचालित होते हैं और इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सीधे दायरे में आते हैं।

8. पुन: दिनांक 24.12.2020 के पत्र संख्या 32-18/2020-टीएस-I के माध्यम से, दिनांक 04.04.2017 और 14.08.2019 के पत्रों का संदर्भ लेते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उचित कानूनी रूपरेखा के माध्यम से इन कोचिंग केंद्रों को विनियमित करने का अनुरोध किया गया था ताकि छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और अनावश्यक शोषण से बचा जा सके।

9. हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद दिनांक 29.07.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा की गई। एनईपी 2020 के मूल सिद्धांतों में से एक 'आज की 'कोचिंग संस्कृति' को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना है'।

10. एनईपी 2020 के पैरा 4.36 में *बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं सहित माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति, आज की कोचिंग संस्कृति और इसके हानिकारक प्रभाव को पहचाना गया है।*

11. एनईपी 2020 के पैरा 4.37 में *कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया गया है।*

12. पैरा 4.38 में *अन्य बातों के साथ-साथ अधिक लचीलेपन, छात्र की पसंद और दो में से सर्वश्रेष्ठ प्रयास, ऐसे आकलनों जो मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं का परीक्षण करते हैं और दबाव तथा कोचिंग संस्कृति को कम करने वाले बोर्ड परीक्षाओं के और अधिक व्यवहार्य मॉडल विकसित करते हैं, को शुरू करने का सुझाव दिया गया है।*

13. एनईपी 2020 के पैरा 4.42 में उद्धृत है कि 'विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के सिद्धांत समान होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा लेने का काम करेगी। इन परीक्षाओं में अवधारणात्मक समझ और ज्ञान को लागू करने की क्षमता की जांच की जाएगी, और इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त करने पर बल रहेगा। विद्यार्थी उन विषयों का चुनाव कर पाएंगे जिनमें वे परीक्षा देने में रुचि रखते हैं, और प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत विषय पोर्टफोलियो को देख पायेंगे।

14. हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में कोचिंग संस्कृति को समाप्त करने की रणनीति से संबंधित मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।

15. सरकार ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) जैसे मुद्दे का समाधान करने के लिए 13 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने, उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या में पर्याप्त विस्तार करने और अधिक से अधिक उच्च-गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने

के लिए एनईपी, 2020 के अनुरूप पहल की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) द्वारा स्कूलों में पाठ्यचर्या संबंधी मामले और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित मामले, जो वर्तमान अवांछनीय स्थिति में योगदान करते हैं, के निराकरण हेतु स्पष्ट कदम उठाये जा रहे है।

16. छात्रों को NEET (UG) और JEE (मुख्य) प्रवेश परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से अभ्यास करने में मदद करने के लिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाले निःशुल्क मॉक ऑनलाइन परीक्षा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने हेतु एक मोबाइल ऐप 'नेशनल टेस्ट अभ्यास' लॉन्च किया है।

17. भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने वाले कोचिंग केंद्रों /निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामला उपभोक्ता मामले विभाग के समक्ष भी उठाया गया है।

18. शिक्षा समवर्ती सूची में है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार को भी इस मामले पर सक्रिय कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

19. कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निजी कोचिंग और ट्यूशन कक्षाओं को विनियमित करने के लिए उचित कानूनी रूपरेखा के माध्यम से पहल की हैं, जैसे कि बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2010 [बिहार अधिनियम 17, 2010], गोवा कोचिंग क्लासेस (विनियमन) अधिनियम, 2001 (गोवा अधिनियम 27, 2001), उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2002], कर्नाटक ट्यूटोरियल संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2001 [कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम 1, 1995) की धारा 145 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से तैयार किया गया], मणिपुर कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 8, 2017) आदि। राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2023 भी सार्वजनिक डोमेन में है और हाल ही में कोचिंग संस्थानों में नामांकित छात्रों के तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2023 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

20. जबकि निजी कोचिंग से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या के कारण एक मॉडल दिशानिर्देश/नीति तैयार करने की आवश्यकता है जिसे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र उचित कानूनी रूपरेखा के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अपना सकते हैं।

21. केंद्र सरकार ने निजी कोचिंग केंद्रों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और उचित कानूनी रूपरेखा के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए मॉडल दिशानिर्देश/नीति तैयार करने का प्रस्ताव रखा है।

1. शीर्षक

कोचिंग केंद्र के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु दिशानिर्देश 2024

2. दिशानिर्देशों का उद्देश्य

किसी भी अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं या शैक्षणिक सहायता के लिए छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए कोचिंग केंद्रों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश प्रदान करना।

3. दिशानिर्देशों की आवश्यकता

(i) कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और विनियमन के लिए रूपरेखा प्रदान करना

(ii) कोचिंग केंद्र चलाने के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं का सुझाव देना।

(iii) कोचिंग केंद्र में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा करना।

(iv) कोचिंग केंद्रों को सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देना।

(v) छात्रों के मानसिक कल्याण के लिए कॅरियर मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना।

4. परिभाषा

(i) 'अपीलीय प्राधिकारी' से समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ii) 'कोचिंग' से अभिप्रेत है, 50 से अधिक छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की किसी भी शाखा में ट्यूशन, निर्देश या मार्गदर्शन, लेकिन इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, थिएटर और अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं;

(iii) 'कोचिंग केंद्र' में 50 से अधिक छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी अध्ययन कार्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षाओं या छात्रों को शैक्षणिक सहायता के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र शामिल है।

(iv) 'सक्षम प्राधिकारी' से समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत है;

(v) 'सरकार' से उचित क्षेत्राधिकार वाली केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अभिप्रेत है;

(vi) 'संस्थान' से अभिप्रेत है, स्कूल या कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान जो किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या नियंत्रित, या संबद्ध हो, या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त हो, केंद्र सरकार या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिनियम के तहत स्थापित संबद्ध कॉलेज, और सहबद्ध कॉलेज, संस्थापित कॉलेज, विश्वविद्यालय, या शैक्षणिक संस्थान;

(vii) 'व्यक्ति' से एक व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें व्यक्तियों का समूह या कॉर्पोरेट निकाय, ट्रस्ट, फर्म या सोसायटी या संस्था शामिल है;

(viii) 'स्वामी' से कोचिंग केंद्र का मालिक अभिप्रेत है जो पंजीकरण चाहता है या पंजीकृत है और इसमें संयुक्त मालिक भी शामिल है;

(ix) 'ट्यूटर' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कोचिंग केंद्र में छात्रों का मार्गदर्शन या प्रशिक्षण करता है और इसमें विशेष ट्यूशन देने वाला ट्यूटर भी शामिल है।

(x) 'विश्वविद्यालय' से किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, और इसमें ऐसा कोई भी संस्थान शामिल है, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से यूजीसी अधिनियम के तहत इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

5. कोचिंग केंद्र का पंजीकरण

(i) कोई व्यक्ति इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कोचिंग केंद्र के पूर्व पंजीकरण के बाद ही कोचिंग प्रदान करेगा या कोचिंग केंद्र स्थापित करेगा, संचालन करेगा, प्रबंधन या रखरखाव करेगा।

(ii) दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तिथि पर मौजूद कोचिंग केंद्र, दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे।

(iii) कोचिंग केंद्र के पंजीकरण के लिए आवेदन, समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में, फीस एवं दस्तावेजों सहित, सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वह कोचिंग केंद्र स्थित है।

(iv) कोचिंग केंद्र की अनेक शाखाएँ होने की स्थिति में, उसकी प्रत्येक शाखा को एक अलग कोचिंग केंद्र माना जाएगा और प्रत्येक शाखा के पंजीकरण के लिए एक अलग आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(v) सक्षम प्राधिकारी, कोचिंग केंद्र के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर, या तो निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, या आवेदक को वह पंजीकरण देने से मना करने के लिए लिखित में कारण दर्ज करने के बाद अपने आदेश के बारे में सूचित करेगा।

बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ही पंजीकरण को अस्वीकार करने का कोई आदेश दिया जाएगा।

(vi) पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि समुचित सरकार द्वारा तय की जाएगी, जब तक कि उसे किसी भी कारण से पहले रद्द न किया गया हो।

(vii) प्रत्येक पंजीकृत कोचिंग केंद्र को पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से दो महीने पहले, समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में, शुल्क एवं दस्तावेजों सहित, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना होगा।

(viii) सक्षम प्राधिकारी, निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, पंजीकरण अवधि की समाप्ति से पहले पंजीकरण संख्या के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर निर्णय ले सकता है और प्रमाण पत्र को नवीनीकृत कर सकता है या इस प्रकार अस्वीकृत करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, पंजीकरण अवधि की समाप्ति से पहले आवेदक को अस्वीकृति के बारे में सूचित कर सकता है।

बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ही पंजीकरण को अस्वीकार करने का कोई आदेश दिया जाएगा।

(ix) समुचित सरकार न्यूनतम मानव इंटरफ़ेस के साथ फेसलेस तरीके से कोचिंग केंद्र के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वेब-पोर्टल/ऑनलाइन तंत्र बनाएगी।

6. पंजीकरण के लिए शर्तें

(i) कोई भी कोचिंग केंद्र -

(क) स्नातक से कम योग्यता प्राप्त ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा।

(ख) अभिभावकों/छात्रों को कोचिंग केंद्र में नामांकन कराने के लिए भ्रामक वादे या रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं देगा।

(ग) 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का नामांकन नहीं करेगा या छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए।

(घ) कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या उस कोचिंग केंद्र या वहाँ पढ़ने वाले छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित करने का कारण नहीं बनेगा या प्रकाशन में शामिल नहीं होगा।

(ङ) उस स्थिति में पंजीकृत नहीं होगा यदि इसमें प्रति छात्र के लिए स्थान की आवश्यकता न्यूनतम अपेक्षित स्थान से कम है।

(च) ऐसे किसी भी ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा, जिसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

(छ) तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि इसमें इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो।

(ii) कोचिंग केंद्र के पास ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं (यदि कोई हों), और ली जाने वाली फीस, आसान निकास नीति, फीस प्रतिदाय नीति, केंद्र से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और अंततः उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल छात्रों की संख्या आदि का अद्यतन विवरण देने वाली एक वेबसाइट होगी।

(iii) कोचिंग केंद्र स्थानीय क्षेत्राधिकार में यथा प्रयोज्य पंजीकरण के पृथक नियमों सहित विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों आदि का पालन करेगा।

7. पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेज

(i) पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ कोचिंग केंद्र के स्वामी द्वारा यह वचन दिया जाएगा कि-

(क) वह केवल 'पंजीकृत कोचिंग केंद्र' शब्द का उपयोग करेगा और किसी भी संकेत पट्ट (साइन बोर्ड) या किसी विवरणिका या पत्राचार या किसी भी तरह के संपर्क या किसी भी स्थान पर 'मान्यता प्राप्त' या 'अनुमोदित' शब्दों का उपयोग नहीं करेगा;

(ख) उन छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं जो संस्थानों/स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, उनके संस्थानों/स्कूलों के समय के दौरान आयोजित नहीं की जाएंगी।

(ग) ट्यूटर्स की योग्यता, कोचिंग क्लास की समय सारणी, ली गई फीस और कोचिंग क्लास के संबंध में निर्दिष्ट सामान्य जानकारी के बारे में आवश्यक सूचना वेबसाइट और कोचिंग क्लास के परिसर में प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी;

(घ) उसे या किसी भी ट्यूटर या कोचिंग केंद्र में किसी भी तरह से कार्यरत व्यक्ति को नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और ट्यूटर की नियुक्ति में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में तुरंत सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा;

(ड.) वह कोचिंग क्लास में प्रवेश पाने वाले छात्रों की निर्दिष्ट संख्या से संबंधित शर्तों का पालन करेगा;

(च) वह इन दिशानिर्देशों के अन्य नियमों और शर्तों का पालन करेगा;

(ii) पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित खातों के विवरण की एक प्रति संलग्न की जाएगी।

8. फ़ीस

(i) विभिन्न पाठ्यक्रमों/पाठ्यचर्या के लिए ली जाने वाली ट्यूशन फीस उचित और तर्कसंगत होगी और ली गई फीस की रसीदें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ii) कोचिंग केंद्र को विभिन्न पाठ्यक्रमों/पाठ्यचर्या, उनके पूरा होने की अवधि, कक्षाओं की संख्या, व्याख्यान, ट्यूटोरियल, छात्रावास सुविधाएं (यदि कोई हों), और ली जाने वाली फीस, आसान निकास नीति, फीस प्रतिदाय नीति आदि का उल्लेख करते हुए एक विवरणिका जारी करनी होगी। यह विवरण भवन के परिसर में प्रमुख और सुलभ स्थानों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) कोचिंग केंद्र द्वारा अपने नामांकित छात्रों को विवरणिका, नोट्स और अन्य सामग्री बिना किसी अलग फीस के प्रदान की जाएगी।

(iv) यदि छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और वह निर्धारित अवधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो छात्र को शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस में से आनुपातिक आधार पर 10 दिनों के भीतर शेष राशि वापस कर दी जाएगी। यदि छात्र कोचिंग केंद्र के छात्रावास में रह रहा है, तो छात्रावास की फीस और मेस फीस आदि भी वापस कर दी जाएगी।

(v) किसी भी परिस्थिति में, वह फीस जिसके आधार पर किसी विशेष पाठ्यक्रम और अवधि के लिए नामांकन किया गया है, उसे पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान नहीं बढ़ाया जाएगा।

9. आवश्यक आधारभूत संरचना

(i) कोचिंग केंद्र की मूल संरचना के भीतर, एक कक्षा/बैच के दौरान प्रत्येक छात्र के लिए न्यूनतम एक वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। नामांकित छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होगा।

(ii) कोचिंग केंद्र भवन को अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का पालन करना होगा और समुचित सरकार द्वारा यथा निर्धारित समुचित अधिकारियों से अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

(iii) छात्रों की सहायता के लिए, कोचिंग केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता/उपचार सुविधा होगी। अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं के लिए डॉक्टर, पुलिस हेल्पलाइन विवरण, अग्निशमन सेवा हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन आदि जैसी रेफरल सेवाओं की सूची प्रदर्शित की जाएगी और विद्यार्थियों को उनके बारे में जानकारी दी जाएगी।

(iv) कोचिंग केंद्र का भवन पूरी तरह से विद्युतीकृत होगा, अच्छा हवादार होगा और भवन की प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी।

(v) केंद्र के सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध होगा।

(vi) कोचिंग केंद्र में जहां भी आवश्यक हो, सीसीटीवी कैमरे उपयुक्त रूप से लगाए जाएं और भली-भांति सुरक्षा बनाए रखी जाएगी।

(vii) छात्रों की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोचिंग केंद्र में एक शिकायत पेटी या रजिस्टर रखा जा सकता है। कोचिंग केंद्र में छात्रों की शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए समिति होगी।

(viii) कोचिंग केंद्र के भवन परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का प्रावधान किया जाएगा।

10. पाठ्यचर्या

10.1 कक्षाएँ

(i) कोचिंग केंद्र, विवरणिका में यथा उल्लिखित निर्धारित समय में कक्षाएं पूरी करने का प्रयास करेगा।

(ii) उन छात्रों के लिए जो संस्थानों/स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके संस्थानों/स्कूलों के समय के दौरान कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, ताकि ऐसे संस्थानों/स्कूलों में उनका नियमित उपस्थिति अप्रभावित रहे और डमी स्कूलों से भी बचा जा सके।

(iii) जिन छात्रों को अपनी पढ़ाई में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें सुधारात्मक या सहायता कक्षाएं प्रदान की जा सकती हैं।

(iv) पाठ्यक्रम/कक्षा समय सारिणी को उपयुक्त रूप से अंतराल देते हुए इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि छात्रों को आराम करने और पढ़ाई के लिए पुनः तैयार होने का समय मिले और इस प्रकार, उन पर अतिरिक्त दबाव न बनें।

(v) कोचिंग केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों और शिक्षकों को साप्ताहिक अवकाश मिले।

(vi) साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई मूल्यांकन-परीक्षा अथवा अन्य कोई परीक्षा नहीं होगी।

(vii) संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों के दौरान, कोचिंग केंद्र छुट्टियों को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि छात्र अपने परिवार के पास जा सकें और उन्हें भावनात्मक सहायता मिले।

(viii) कोचिंग केंद्र इस तरह से कोचिंग कक्षाएं संचालित करेंगे कि यह एक छात्र के लिए अत्यधिक न हो और यह एक दिन में 5 घंटे से अधिक न हो और कोचिंग का समय न तो सुबह बहुत जल्दी हो और न ही शाम को बहुत देर तक हो।

(ix) कोचिंग केंद्र छात्रों के समग्र विकास और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के लिए कक्षाएं आयोजित करेंगे। कोचिंग केंद्रों को मुख्य विषयों को पढ़ाने के साथ-साथ ट्यूटर, कर्मचारी और सभी छात्रों के लिए जीवन कौशल, वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य-आधारित सोच, रचनात्मकता और नवीनता; फिटनेस, तंदुरुस्ती, भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक कल्याण, आयु-उपयुक्त चुनौतियों, प्रेरणा; सहयोग और टीम वर्क; समस्या समाधान और तार्किक तर्क; नीतिपरक और नैतिक तर्क; मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के ज्ञान और अभ्यास; व्यक्तिगत सुरक्षा (लिंग संवेदीकरण और दुर्व्यवहार की रोकथाम); मौलिक कर्तव्य; नागरिकता कौशल और मूल्य; भारत के ज्ञान; पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छता और आरोग्यता आदि के विकास संबंधी परामर्श सत्र भी आयोजित करने चाहिए।

10.2 कोचिंग केंद्र द्वारा आचार संहिता

(i) प्रत्येक कक्षा/बैच में नामांकित छात्रों की संख्या को विवरणिका में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कक्षा/बैच में ऐसे नामांकन में वृद्धि नहीं की जाएगी।

(ii) प्रवेशित छात्रों की संख्या प्रत्येक कक्षा में एक संतुलित शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखने और ट्यूटर और परामर्शदाताओं के साथ संबंध बनाने के अधिक अवसर पैदा करने की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्र शिक्षकों से जुड़ने में सक्षम हों और छात्र को स्क्रीन/ब्लैकबोर्ड तक आसान पहुंच और दृश्यता मिले।

(iii) कोचिंग केंद्र 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन नहीं करेंगे या छात्र का नामांकन केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।

(iv) छात्रों को पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले परीक्षा की कठिनाई, पाठ्यक्रम, तैयारी की गहनता के स्तर और छात्र से अपेक्षित प्रयासों के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराया जाएगा।

(v) छात्रों को शैक्षिक वातावरण, सांस्कृतिक जीवन, वास्तविकताओं और स्कूल स्तर की परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच अंतर के बारे में जागरूक किया जाएगा।

(vi) इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के विकल्पों के अलावा, छात्रों को अन्य करियर विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए, ताकि वे अपने भविष्य को लेकर तनावग्रस्त न हों और वैकल्पिक करियर का नया विकल्प चुन सकें।

(vii) छात्र की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रवेश या मॉक टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। छात्र की क्षमता और रुचि के आधार पर, कोचिंग केंद्र माता-पिता को छात्र की क्षमता की यथार्थवादी अपेक्षा बता सकता है और आगे का रास्ता सुझा सकता है।

(viii) छात्रों और अभिभावकों को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि कोचिंग केंद्र में प्रवेश मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून आदि संस्थानों में प्रवेश या प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी तरह से सफलता की गारंटी नहीं है।

(ix) कोचिंग केंद्र को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के सहयोग से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में समय-समय पर कार्यशालाएं और संवेदीकरण सत्र आयोजित करने चाहिए।

(x) कोचिंग केंद्र को छात्रों और अभिभावकों के बीच शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम की समय-सीमा और कोचिंग केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों पर अनावश्यक मानसिक दबाव और अपेक्षाओं के बोझ के नकारात्मक प्रभावों के बारे में परामर्श दिया जा सकता है।

(xi) कोचिंग केंद्र अपने द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम को सार्वजनिक नहीं करेगा। मूल्यांकन परीक्षण को गोपनीय रखते हुए इसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए और जिस छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रहा है, उसे इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।

11. परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक सहायता

(i) छात्रों पर उच्च प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण, कोचिंग केंद्रों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाने चाहिए और अपने छात्रों पर अनुचित दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। साथ ही, उन्हें संकट और तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को लक्षित और निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए।

(ii) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि कोचिंग केंद्र द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए और यह छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं के नाम और उनके द्वारा सेवाएं प्रदान करने के समय की जानकारी सभी छात्रों और अभिभावकों को दी जा सकती है। छात्रों और परिवारों के लिए प्रभावी मार्गदर्शन और परामर्श की सुविधा के लिए कोचिंग केंद्र में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जा सकता है।

(iii) कोचिंग केंद्रों को मानसिक तनाव और अवसाद के समाधान के लिए छात्रों को परामर्श देने और मनोचिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(iv) छात्र की रुचि, योग्यता और क्षमता का आकलन करने के लिए करियर परामर्शदाताओं को शामिल किया जा सकता है, और तदनुसार सर्वोत्तम करियर विकल्प चुनने के लिए यथार्थवादी अपेक्षाओं वाले छात्रों को उनके माता-पिता के साथ मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा सकता है।

(v) कोचिंग केंद्र द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और तनाव की रोकथाम पर माता-पिता, छात्रों और शिक्षकों के लिए नियमित कार्यशालाएं और जागरूकता सप्ताह आयोजित किए जा सकते हैं। इसे स्वास्थ्य, अच्छे पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा में बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के अहितकर और हानिकारक प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्र द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, लचीलेपन और जिम्मेदार आत्म-देखभाल के संदर्भ में माता-पिता के लिए आयोजित बातचीत सत्र में सकारात्मक पालन-पोषण के मामले पर भी बल दिया जाना चाहिए।

(vi) छात्रों को उनके सुधार के क्षेत्रों के बारे में प्रभावी ढंग से और संवेदनशीलता से जानकारी देने के लिए शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण ले सकते हैं।

(vii) परामर्श के भाग के रूप में कोचिंग केंद्र को पीयर-ग्रुप समूह संपर्क स्थापित करना चाहिए। कोचिंग केंद्र चर्चाओं, प्रतियोगिताओं और परियोजनाओं में समूह-आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास आयोजित कर सकता है।

(viii) छात्र की शंकाओं का समाधान उन शिक्षकों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने कक्षा में पढ़ाया है ताकि छात्र संतुष्ट महसूस करें।

(ix) कोचिंग केंद्र निम्नलिखित के अनुसार संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा का पालन करेगा:

मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए रूपरेखा		
समस्याओं का स्तर	**शामिल किए जाने वाले हितधारक**	**पहल का स्तर**
मानसिक कल्याण	संपूर्ण संस्थागत समुदाय	संस्थागत पाठ्यक्रम में एकीकृत मानसिक कल्याण
मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान अभिवृत्ति एवं व्यवहार	सभी छात्र एवं शिक्षक	मानसिक कल्याण - सामान्य स्वास्थ्य पाठ्यक्रम का हिस्सा
मनोसामाजिक समस्याएँ	परामर्शदाता, शिक्षक, पीयर-मेंटर, वार्डन और नागरिक	जरूरतमंद विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना
गंभीर समस्याएँ/विकार	परामर्शदाता, संस्थागत डॉक्टर और अन्य विशेषज्ञ	व्यावसायिक प्रबंधन

12. समावेशिता और पहुंच

(i) कोचिंग केंद्र प्रवेश और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी आवेदक/छात्र के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

(ii) महिला छात्राओं, दिव्यांग छात्रों और अपवंचित समूहों के छात्रों जैसे कमजोर समुदायों के छात्रों के अधिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के लिए कोचिंग केंद्र द्वारा विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

(iii) कोचिंग केंद्र की इमारत और आसपास का परिसर दिव्यांगों के अनुकूल होगा और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(iv) शिक्षकों को अधिगम अक्षमताओं के बारे में संवेदनशील बनाया जाए और अधिगम अक्षमताओं वाले छात्रों को सहज महसूस कराया जाए।

(v) जहां भी संभव हो दिव्यांग-अनुकूल प्रावधान जैसे ब्रेल, ई-रीडर और शौचालय आदि बनाए जाएं।

(vi) दिव्यांग छात्रों को सहायता कक्षाएं प्रदान की जा सकती हैं जिन्हें अपनी शिक्षा में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है।

(vii) शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर बैच पृथक्करण नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे छात्र पर अत्यधिक दबाव पड़ता है जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। बैच का गठन छात्रों के प्रवेश/दाखिले के क्रम में किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम पूरा होने तक बैच को नहीं बदला जाएगा।

13. अभिलेखों का रखरखाव

(i) कोचिंग केंद्र को ऐसे अभिलेखों, लेखों, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ों का रखरखाव और प्रस्तुतीकरण करना चाहिए, जो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(ii) कोचिंग केंद्र को अपनी वार्षिक रिपोर्ट रिकॉर्ड के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. कोचिंग केंद्र के स्थानांतरण पर प्रतिबंध

कोचिंग केंद्र केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्शाए गए स्थान पर ही कोचिंग संचालित करेगा और इसे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना, अपने पंजीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

15. कोचिंग केंद्र की गतिविधियों की जांच

सक्षम प्राधिकारी**,** या समुचित सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी कोचिंग केंद्र की गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेगा और किसी भी कोचिंग केंद्र से आवश्यक पात्रता या पंजीकरण की पूर्ति और कोचिंग केंद्र की संतोषजनक गतिविधियों के बारे में पूछताछ करेगा।

16. **शिकायतों का निस्तारण**

(i) छात्रों, अभिभावकों या ट्यूटर या कोचिंग केंद्र के कर्मचारी द्वारा कोचिंग केंद्रों के विरुद्ध और कोचिंग केंद्रों द्वारा छात्रों/अभिभावकों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायतों का निपटारा सक्षम प्राधिकारी या समुचित सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित जांच समिति द्वारा तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

(ii) सक्षम प्राधिकारी या जांच समिति, जैसा भी मामला हो, की रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के बाद शास्ति लगाएगा या पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई करेगा।

17. शास्तियां

(1) सक्षम प्राधिकारी के पास सिविल न्यायालयों की शक्ति होगी। सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी मुकदमे पर विचार करने के लिए ऐसी शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता **1908 (**1908 का केंद्रीय अधिनियम संख्या **5)** के तहत अदालतों में निहित है: -

(i) शपथ-पत्र के माध्यम से प्रमाण के साथ साक्ष्य स्वीकार करना**;**

(ii) किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी जांच करना**;**

(iii) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण को लागू करना; और

(iv) लागत अधिनिर्णीत करना,

(2) पंजीकरण या सामान्य शर्तों के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, कोचिंग केंद्र निम्नानुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा:

(i) पहले अपराध के लिए 25,000/- रुपए

(ii) दूसरे अपराध के लिए 1,00,000/- रुपए

(iii) बाद के अपराध के लिए पंजीकरण रद्द करना

18. पंजीकरण रद्द करना

यदि संबंधित सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोचिंग केंद्र ने दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है या किसी भी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया है जिसके अध्यधीन पंजीकरण प्रदान किया गया था, तो प्रासंगिक कानून के उल्लंघन के लिए की जाने वाली किसी भी अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोचिंग केंद्र को दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

बशर्ते कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र धारक को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

19. अपील की प्रक्रिया

किसी कोचिंग केंद्र को पंजीकृत करने से मना करने या उसके नवीनीकरण या पंजीकरण रद्द करने के आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, समुचित सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है।

*****